जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / लेखा / आर सी आर / 2014 / डी– 477 दिनांक 3-12-14

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण द्वारा आदेश क्रमांक 463 दिनांक 28.11.2014 को आई.सी.आई.सी.आई बैंक की जविप्रा शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखाओं को भी प्राधिकरण राशि को चालान के माध्यम से जमा करने हेतु अधिकृत किया गया है:–

1. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, बापू नगर, जयपुर।
2. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, प्रताप नगर, सांगानेर,जयपुर।
3. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, विधाधर नगर, जयपुर।
4. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, वैशाली नगर, जयपुर।
5. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, मानसरोवर, हीरा पथ, जयपुर।
6. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जौहरी बाजार, जयपुर।

सचिव जविप्रा द्वारा यू.ओ.नोट क्रमांक डी–324 दिनांक 19.09.2014 एवं निदेशक (वित्त) द्वारा यू.ओ.नोट क्रमांक डी–462 दिनांक 26.11.2014 द्वारा सभी उपायुक्तों को मांग पत्र के साथ मांग राशि का कम्प्यूटरीकृत चालान संलग्न कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था ताकि जमाकर्त्ता को चालान बनवाने हेतु प्राधिकरण में नही आना पड़े।

उपरोक्त वर्णित छः शाखाओं को अधिकृत करने की सुविधा का लाभ जन–सामान्य को मिले इसके लिए आवश्यक है कि मांग पत्र के साथ जे.डी.ए Intranet से निर्मित चालान संलग्न किया जावें जिसमें मांग राशि की सभी मदो का विवरण अंकित हो। चालान बनाने की सुविधा कम्प्यूटर पर जे.डी.ए Intranet साईट पर उपलब्ध है।

अतः सभी उपायुक्तों एवं प्रकोष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मांग पत्र के साथ मांग राशि का कम्प्यूटरीकृत चालान संलग्न किया जावें। इसकी पालना कठोरता से की जावें। इस संबंध में इसकी पालना का समीक्षा एक महीने के उपरान्त की जावेगी,जिसमें Action taken में प्रत्येक उपायुक्त को यह अवगत कराना पड़ेगा कि एक महीने में कितने मॉग पत्र जारी किये गये एवं कितने प्रकरणों में Intranet से चालान बनाकर मॉग पत्र के साथ भिजवाया गया।

आगामी stage में जयपुर स्थित आई.सी.आई.सी.आई बैंक की समस्त शाखाओं को अधिकृत किया जाना है। अतः उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

(शिखर अग्रवाल)
आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा।
3. निदेशक (वित्त) / अभि. I,II / टी.पी. / लॉ, जविप्रा।
4. अति आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / एलपीसी / पुनर्वास / भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम मेनेजमेन्ट), जविप्रा।
6. अति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी / एम.पी–प्रथम / द्वितीय) जविप्रा।
7. अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा।
8. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास) जविप्रा।
9. समस्त उपायुक्त जोन .... / प्रशासन / स्टोर / वाहन, जविप्रा।
10. संयुक्त पंजीयक (सहकारिता), जविप्रा।
11. मुख्य लेखाधिकारी (सी एण्ड ए) / उपनिदेशक (व्यय एवं बजट) / व. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा।
12. अधिशाषी अभियन्ता (गार्डन) / सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा।
13. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा।

(शिखर अग्रवाल)
आयुक्त

My Computer/D/RCR Mater/Uo not